न्यायालय उपजिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ललित मीना (आर० ए० एस०)
प्रकरण संख्या– 21 / 2021

1–रामवती देवी पत्नी मुन्नासिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज०)
...........प्रार्थीया

बनाम

1– तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर
................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी
अन्तर्गत धारा 129 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः– 1–श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ....(प्रार्थीया)
2–पैरोकार सरकार तहसीलदार सैपऊ......(अप्रार्थी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

निर्णय

दिनांक 10.11.2022

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अन्तर्गत धारा 129 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 3626 / 3041 रकवा 0.5943 हैक्टेयर वाकेग्राम सैपऊ नम्बर–1 में प्रार्थीया रामवती देवी खसरा नम्बर 3626 / 3041 वाकेग्राम सैपऊ नम्बर–1 की एकान्तिक रूप से खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 3626 / 3041 वाकेग्राम सैपऊ नम्बर–1 में हो रही फसल की आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु तार बाउन्ड्री करवाना चाहती है तथा प्रार्थीया ने अप्रार्थी तहसीलदार सैपऊ से पत्थरगढ़ी हेतु अर्सा करीब 15 दिवस पूर्व निवेदन किया था तब अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थीया से पत्थरगढ़ी का आदेश श्रीमान के कोर्ट से करने की कहा तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थीया के खातेदारी के खसरा नम्बर 3626 / 3041 की पत्थरगढ़ी करने की कहा है। प्रार्थीया अपने खर्चे पर उक्त खसरा नम्बर 3626 / 3041 की पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है जिसकी कि वह खातेदार काश्तकार होने के नाते अधिकारी एवं दावेदार है। उपरोक्त परिस्थिति में खसरा नम्बर 3626 / 3041 वाकेग्राम सैपऊ नम्बर–1 की पत्थरगढ़ी प्रार्थीया के खर्चे पर किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी के खसरा नम्बर 3626 / 3041 रकवा 0.5943 हैक्टेयर वाकेग्राम सैपऊ नम्बर–1 की प्रार्थीया के खर्चे पर पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सैपऊ स्वयं उपस्थित आये एवं प्रकरण में पैमाईश रिपोर्ट एवं जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने जबाब में अंकित किया कि आराजी खसरा नम्बर 3626 / 3041 रकवा 0.5943 हैक्टेयर वाकेग्राम सैपऊ नम्बर–1 में रामवती देवी पत्नी मुन्नासिंह हिस्सा पूर्ण जाति ठाकुर सा0 देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीया के आवेदन पर की गयी पैमाईश की जा चुकी है। जिसकी प्रति जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है।

हमने विद्वान अभिभाषक एवं तहसीलदार सैपऊ की उभयपक्षीय बहस सुनी एवं तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2076–79 के खाता संख्या 611 के खसरा नम्बर 3626/3041 वाकेग्राम सैपऊ नम्बर–1 पर अंकित आराजी नम्बरों का रामवतीदेवी पत्नी मुन्नासिंह जाति ठाकुर निवासी सैपऊ नम्बर–1 पर एकल खातेदार के रूप में दर्ज है। जिसकी पैमाईश पूर्व दिनांक 15.06.2022 को की जा चुकी है। दस्तावेजों के अवलोकन से हम पूर्णतः सहमत है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खाता संख्या 611 के खसरा नम्बर 3626/3041 वाकेग्राम सैपऊ नम्बर–1 तहसील सैपऊ की मुताबिक पैमाईश निर्धारित राजकीय शुल्क जमा कर उक्त आराजी के पास में स्थित खातेदारों को लिखित सूचना देते हुये जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शे के अनुसार कर पत्थरगढ़ी करवायी जावे एवं मौका पर्चा तैयार किया जाकर तहसील भू0अभिलेख शाखा राजस्व रिकॉर्ड में रखा जावे। तहसीलदार सैपऊ को तहरीर जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(ललित मीना)
उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ
सैपऊ